[श्री धुलेश्वर मीणा]

अतः मैं आशा करता हूं कि सारा सदन इसकी प्रशंसा करेगा क्योंकि जालोर जिला या हमारे राजस्थान का देश में नाम ऊंचा होता है तो यह अपने देश के लिए ही गौरव की बात है । मैं आपकी मार्फत से उस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को व आल इंडिया ग्रेनाइट एसोसिएशन को हमारी तरफ से बधाई दी जाए ।

श्री अंबर लाल पंवार (राजस्थान) : महोदया, मैं इससे अपने को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि मोकलसर में वर्ल्ड का सब से ज्यादा बढ़िया ग्रेनाइट निकला है जिसको प्रशंसा यू0एस0ए0 में भी हुई है । अभी राजस्थान गवर्नमेंट बी0जे0पी0 द्वारा चल रही है और माइनिंग के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि खनन के मामले में जो राजस्थान में बहुत ज्यादा खनिज है उसका दोहन करें और जोधपुर में गैंगसा मशीन की फैक्टरी जो कि ग्रेनाइट को काटने के लिए नई बनी है इटली के सहयोग से, उसको भी बहुत ही फारेनर्ज आकर उसका सहयोग देकर ग्रेनाइट के मामले में बहुत ही अच्छा व्यापार भारत को मिलेगा । इसलिए मैं इस विशेष उल्लेख से अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

Massacre of Fifteen Officials of the Indian Acrylic Limited Factory in Sangur, Punjab by Militants

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय आज सदन में उठाना चाहता हूं ।

महोदया, मंगलवार की रात साढ़े 7 बजे संगरूर में इंडियन एक्रेलिक लिमिटेड फैक्टरी के अंदर 4 आतंकवादी बंदूकें लेकर घस गए और वहां रेजीडेंशियल कम्पाइंड में उनके जो टाप एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थे, उनको जबर्दस्ती घरों से निकालकर वहां पर इकट्ठा किया और उन आतंकवादियों ने उनमें से कुछ का सलेक्शन किया । उसमें जो एक अमेरिका के इंजीनियर थे, उनको छोड़ दिया, कुछ पंजाब से संबंध रखने वाले लोग थे, उनको भी छोड़ दिया, उस फैक्ट्री के जो चीफ एक्जीक्यूटिव थे श्री सांगा, उनको भी छोड़ दिया, लेकिन महोदया बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15 ऑफिसियल्स व एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जोकि बहुत ही अपने आप में प्राइम थे या बहुत ही योग्य इंजीनियर्स थे, उनको गोलियों से भून दिया । महोदया, 15 लोग वही पर मर गए । साथ ही कुछ लोग घायल हुए जिनको कि लुधियाना के हास्पिटल में लाया गया । अब उन घायलों की क्या स्थिति है, इसकी अभी तक जानकारी है ।

महोदया, यह एक अत्यंत ही दुर्भाग्य-पूर्ण घटना थी और मंगलवार को जब यह घटना हुई थी तो सरकार को तत्काल सदन में उस पर बयान देकर सदन को विश्वास में लेना चाहिए था । महोदया, इस घटना के बारे में पहले जो रिपोर्ट आयी, जो समाचार छपा, उसमें यह बताया गया कि 15 वर्कर्स मार दिए गए हैं, जैसेकि कोई लेबरर्स या इस तरह के लोग मारे गए हैं । इस तरह उसको एक तरह से मिनिमाइज करने या उसको छोटा कर के बताने की कोशिश की गयी ।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : क्या साधारण आदमी की कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं है ?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उनकी भी है ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मेरे लिए उनकी भी पूरी कीमत है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने उनकी कोई कीमत नहीं आंकी है । अगर सरकार ने उनकी कीमत आंकी होती तो उसे स्टेटमेंट देना चाहिए था, लेकिन इस विषय पर उसने कोई नोटिस नहीं लिया है । उसे मंगलवार को बयान देना चाहए था, नहीं तो बुद्धवार को दे सकती थी.... (व्यवधान)...पंजाब सरकार ने तो एक रिडीकुलस बयान दिया है । उन्होंने यह कहा है कि इस फैक्ट्री के लोगों ने हमसे सेक्युरिटी लेने से इंकार कर दिया । महोदया, यह एक ऐसा थोथा और बोगस

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

बयान है कि क्या पंजाब के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उन सब फक्ट्रीज से पूछा है कि उनको सेक्युरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए और जिनको इन्होंने सेक्युरिटी दी है, क्या उनके यहां कोई घटना नहीं हुई है ? महोदया, सरकार को इस तरह से थोथे बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ।

महोदया, यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें इतने बड़े टाप के इंजीनियर्स वहां पर भून दिए गए और सरकार इसको लापरवाही से टालना चाहती है । महोदया, मुझे यह भी कहना है कि इसके बारे में केन्द्र ने कोई स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया, नहीं तो पंजाब से जानकारी लेकर बताएं । महोदया, यह संगरूर ऐसा जिला है जिसमें कि पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं । महोदया, 19 फरवरी को जो पंजाब में चुनाव हुए उससे पूर्व 17 फरवरी को बरनाला, जोकि संगरूर जिले में एक दूसरी जगह है, वहां की एक मिल में कुछ मजदूरों की हत्या कर दी गयी और सरकार ने उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया महोदया, वर्ष 1989 में पटियाला में कुछ बाहर से स्टूडेंट्स गए थे उनकी वहां पर हत्या कर दी गयी । सरकार ने उसके बारे में कोई इंतजाम नहीं किया और मुझे यह भी सदन के ध्यान में लाना है कि इस घटना में जो लोग मारे गए हैं, ये बाहर के हैं, पांच दूसरे प्रदेशों से संबंध रखते हैं । ये प्रदेश हैं— केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र महोदया, मैं समझ सकता हूं कि इसका क्या परिणाम होगा ? इसका परिणाम यह होगा कि उन्होंने यह बात कही है कि, "ये बाहर के लोगों को यहां क्यों रिक्रूट किया गया है ?" क्या अब वहां यह स्थिति है कि पंजाब में बाहर के लोग नहीं जाएंगे ? महोदया, भारी संख्या में लेबरर्स वहां पर हैं और टैक्नीशियंस वहां पर हैं । और वहां पर हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जहां कई लोग लगे हुए हैं । ऐसी स्थिति में अगर सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती तो, जैसी मुझे जानकारी मिली है, इस घटना के बाद इस फैक्टरी के और इस कंपनी के लोग वहां से काम छोड़कर अपनी-अपनी स्टेट में जाने की कोशिश में हैं । वे वहां से जाना चाहते हैं । अगर पंजाब में यह स्थिति पैदा हो जाएगी तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी ।

मैडम, नई जो सरकार पंजाब में चुनकर आई है । इन्होंने पहला वायदा यह किया है कि हम वहां पर आतंकवाद को समाप्त करेंगे । दो-तीन स्टेटमेंट मुख्यमंत्री के मैं पढ़ चुका हूं कि हम आतंकवाद सहन नहीं करेंगे । लेकिन, जितनी वह स्टेटमेंट दे रहे हैं, यह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं के कारण से मैं यह समझता हूं कि यह नई सरकार पर बहुत बड़ा कलंक है, यह एक काला धब्बा है कि इस तरह की घटना हो जाए ।

मैडम, यह बयान देना कि इन्होंने सिक्योरिटी नहीं मांगी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सारे प्रदेश में सरकार द्वारा इतनी फौज भेजने के बाद भी और इतनी सिक्योरिटी अरेन्जमेंट के बाद भी लोगों की जानमाल की रक्षा हो पा रही है ? विशेषकर, बाहर से जो गए हुए लोग हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा है । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । यह घटना नई सरकार के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है । मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार, केन्द्रीय गृहमंत्री इस संबंध में विस्तृत एक बयान दें और हाऊस को विश्वास में लें । साथ ही मैं कहूंगा कि सदन की ओर से इस घटना की घोर निन्दा होनी चाहिए और जो लोग मरे हैं, उनके परिवारों तक हम अपनी संवेदना पहुंचाएं । सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि इस तरह की घटना दुबारा न हो, इसके लिए सरकार पूरे इंतजाम करे और यह जो घटना हुई है इसमें सिक्योरिटी लेप्सेस क्या रहे इसकी एक हाई-लेवल इन्क्वायरी कराई जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सरकार से आग्रह करूंगा कि सदन को विश्वास में लें और एक पूरा विस्तृत बयान सदन के अंदर दें ।

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश): मैडम, मैं एसोसिएट करता हूं।

श्री राघव जी (मध्य प्रदेश): मैडम, मैं इसका समर्थन करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडम, सारा हाऊस इसको एसोसिएट करता है। ....(व्यवधान)....

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Madam, I would like to associate myself with the Special Mention of Mr. Sharma, but I want to disassociate from his statement that the Government is incompetent and inactive to control such incidents. The Government is taking extraordinary actions to contain terrorism in Punjab. I would like to invite the Opposition to whole-heartedly support the Government in all its actions. I condemn the action of the terrorists. They were selective in the choice of victims. They had selected only those persons who were from outside Punjab, who belonged to different States. They had left the Punjabi people. They had left the foreigners also. These were cold-blooded murders. The selected persons were only from the South. They had done this only to create chaos in the country. So I would request the Government to come forward with a statement and to be more and more effective in containing terrorism. The whole nation is with the Government. The Government need not worry about this. The whole country is with it.

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Madam, I also associate myself with his Special Mention First of all, condolences from us should go to the bereaved families of 16 persons who had been killed on Tuesday in the gruesome massacre in the Sangrur district of Punjab. The reports about the persons who had been chosen for killing are giving distorted facts. The person who is the owner of the factory is considered to be a sympathiser of the Congress Party. Secondly, when the militants identified the victims, they had allowed the persons belonging to Punjab to be segregated from outsiders and the persons who were from outside Punjab were massacred. It is a very serious thing. And thirdly, I would like to say that the victims who had been killed were top executives and senior engineers in various firms Madam, this signal of killing of persons who were from outside Punjab will send shock waves to other parts of the country and it will break the fabric of unity of this nation. Therefore, good sense must prevail upon the militants of Punjab and they should come forward for the purpose of nation building. Since there is an elected Government, let the militants join the national mainstream avoiding militancy so that the State of Punjab will prosper. Apart from that, I would like to request the Government of Punjab to give proper security to the people who are working in the factories and also to the public. The police version is very clear to the effect that they wanted to give protection to the persons working in the factory and to the factory premises. But it was refused by the factory management. That was the statement made by the Chief Minister. I don't see any reason for the hon. Member from the other side to accuse the State Government of not taking care of the whole situation. The Chief Minister immediately went to the spot and ordered for an enquiry. Moreover, the Chief Minister had a meeting with the top officials on how to contain terrorism. Therefore, I would like to say only one sentence. I would like to request all political parties, including Akali leaders of Punjab, to come forward for containing terrorism in Punjab and helping the development of the State. (*Interruptions*) Such kind of an accusation will only aggravate the situation. Kindly don't make such accusation and let us cooperate with the State Government for containing terrorism in the State.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole House condemns any act of terrorism. On behalf of all Members present here, I say that any act of terrorism is condemnable, whether the people who are killed are from North, South, East or West. The Government should take more appropriate measures to control it. The whole House condemns the killings. Shri M. S. Gurupadaswamy.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा): महोदया, मेरी गुजारिश है कि... (व्यवधान)....

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, जिस तरह से घटना घटी है, यह एक नया मोड़ ले रही है। इस आधार पर सरकार के... (व्यवधान)..

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: पंजाब के अंदर इतने हालात खराब हैं कि...

उपसभापति: बैठ जाइए। मेरे कहने के बाद कुछ कहना बेकार है।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: मैडम, यह बहुत सीरियस बात है और गृह मंत्री को आप डायरेक्ट करिए कि वे हाउस में आकर स्टेटमेंट दें।

उपसभापति: मैंने कह दिया है। अभी आप बैठिए। मैंने कह दिया है। आप लोग सुनते तो हैं नहीं कि क्या कहा जा रहा है, सब अपनी आवाज में खो जाते हैं।

Injudicious selection of the Judges to the High Court and the tribunals

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, with your permission I would like to raise an important matter which has got two parts. One refers to the recent judgment of the Supreme Court quashing the order of the President appointing Shri K. N. Srivastava as one of the judges of the Guwahati High Court

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, if you don't take the name it will be better because the person concerned cannot defend himself here. This is our practice. Now, many things come in the newspapers. Yesterday somebody took a name and the objection came. I am only reminding you.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Now, this is only a matter because I am not criticising Mr. Srivastava here, I am not criticising Mr. Srivastava at all. The second is about the appointments made for a period of years to various tribunals at the Central level or the State level. A three-judge bench of the Supreme Court has quashed the order of appointment given to Mr. K. N. Srivastava. It is unprecedented, unusual and extraordinary, and for the first time, I think, in our judicial history such a thing has happened that a warrant issued by the President has been quashed by the Supreme Court. It has been quashed on two important grounds. One is the person who was appointed as the judge of the Guwahati High Court was not qualified or did not fulfil the qualifications necessary for the post. He was just the Secretary of the Law Department of the Mizoram Government and he has no judicial experience at all. As you know, Madam, there is a prescription given by the Constitution itself. Persons who have not practised in the High Courts for ten years or more than ten years or who do not have ten years' judicial experience be appointed as judges of the High Courts. It is a clear norm laid down by the Constitution itself under Article 217, Clause 2, Secondly, no person can be a Judge when he is involved in a case of corruption. A case has been filed against a particular person and it has been referred to Vigilance for inquiry and he has been suspended. What is the mode of appointment that you have been following? Normally the Chief Justice of the High Court sends the list of names to the Chief Justice of the Supreme Court The Chief Justice of the Supreme Court will go through the list, scan it and screen it. He will